# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 22 / 2016

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 तगाराम 2 देवाराम 3 मगाराम पिसरान लच्छाराम जाति जाट निवासी सिदोणियों की ढाणी, (कगाऊ) तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 प्रहलादराम 2 मोडाराम पिसरान किरपाराम जाति जाट निवासी सिदोणियों की ढाणी, (कगाऊ) तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.**

उपस्थिति :–

1 श्री भंवरलाल चौधरी, वकील प्रार्थीगण।

2 श्री जेठाराम सारण, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02।

3 पैरोकार सरकार।

## आदेश

दिनांक 07.12.2022

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सिदोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 172/156 रकबा 50.15 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। ग्राम सिदोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 156 के खातेदार अचलाराम पुत्र भोमाराम व मोडाराम, प्रहलादराम पिसरान किरपाराम ने संयुक्त रूप से रकबा 51.00 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 27.06.1984 को कर दिया था, जिसका नक्शे में बताये ए.बी.सी.डी. हिस्से पर कब्जा काश्त करवा दिया था जो वर्तमान में प्रार्थीगण का उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थीगण का सेढा उत्तर की सीमा रेखा से मिला दिया जिससे प्रार्थीगण के उतरी सेढे से करीब 150 पावण्डा दूर अप्रार्थीगण के खेत का उतरी सेढा है जो प्रार्थीगण का खेत उतर की तरफ सेढे से दूर है व उतरी सेढा नही लगता है। मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम नही होने से तथा विपरित तरमीम होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्से में बताकर अप्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि ई.एफ.ए.जी. वाली भूमि प्रार्थीगण की बता दी गई जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो गया। लिहाजा तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगवाकर प्रार्थीगण के पुराने कब्जा काश्त एवं बेचान में अंकित आथमणा तरफ के बटांकन अनुसार नजरी नक्शा में बताये ए.बी.सी.डी. हिस्से अनुसार लठ्ठा में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 व पैरोकार सरकार उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने नक्शा गलत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बताये ए.बी.सी.डी. हिस्से अनुसार काबिज नही करवा कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दशाई

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

गई बरंग पीला अनुसार काबिज कर जो आज भी उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बताये ए.बी.सी.डी. हिस्से अनुसार न तो प्रार्थीगण की माठे बनी हुई है तथा न ही कणे ही है। नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दु ई.के.एल.एम. बरंग लाल अनुसार भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण का बी.एफ. ई.के. अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन झूठा व सारहीन है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा सिदोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 172/156 रकबा 50.15 बीघा भूमि तथा अप्रार्थीगण की भूमि में मौके पर कब्जा काश्त में विवाद है तथा मौके पर आपतियां होने से वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार दोनों पक्षों के रकबे की जांच करते हुए तरमीम को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के मद्देनजर मौजा सिदोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 172/156 रकबा 50.15 बीघा भूमि के सेढों एवं कब्जे काश्त तथा रकबे के अनुसार तथा अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार बाडमेर स्वयं मौके की जांच करते हुए तरमीम को शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करें तथा जांच अनुसार तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07.12.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested